[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Notification

New Delhi, the 25th September, 2018

G.S.R…….(E).- In exercise of the powers conferred by section 247 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Registered Valuers and Valuation) Third Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017 (hereinafter referred to as "the said rules"), in rule 11, for the figures, letters and word "30th September, 2018" occurring at both the places, the figures, letters and word "31st January, 2019" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 14, in clause (f), for the words "one year", the words "two years" shall be substituted.

[F.No.1/27/2013-CL-V-(Part)]

25/9/18

(K.V.R. Murty)

Joint Secretary to the Government of India

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1316(E), dated the 18th October, 2017 and subsequently amended vide number G.S.R. 155 (E), dated the 9th February, 2018 and number G.S.R. 559 (E), dated the 13th June, 2018.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितंबर, 2018

सा.का.नि. .... (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 247 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) तीसरा संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) नियम 11 में, "30 सितंबर, 2018" अंकों, शब्दों और अक्षरों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर "31 जनवरी, 201 9" अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 14 के खंड (च) में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं.1/27/2013-सीएल-V (भाग)]

के.वी.आर.मूर्ति
25/9/18

(के. वी. आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1316(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2017, द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सा.का.नि. 155(अ) तारीख 9 फरवरी, 2018, और संख्यांक सा.का.नि. 559(अ) तारीख 13 जून, 2018 द्वारा उनका पश्चातवर्ती संशोधन किया गया था।